

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No.190] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935 [N.C.T.D. No. 194

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

सं. फा. 7(180)/12/जी.ओ.एफ.एस./प्रशा./पार्ट फाइल/7597-7612 —के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी प्रधान सचिव, दिल्ली, द्वारा नियुक्त पदनामित अधिकारी श्री ओमपाल सिंह अहलावत को आयुक्त खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदनामित अधिकारी के रूप में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन का प्रभारी नियुक्त करते हैं।

के.जे.आर. बर्मन, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY
NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2013

No. F. 7(180)/12/DoFS/Admn./Pt.File/7597-7612 —Consequent upon appointment of Sh. Ompal Singh Ahlawat as Designated Officer by the Competent Authority i.e. Chief Secretary, Delhi, the Commissioner of Food Safety, Department

of Food Safety, in exercise of power conferred under sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006, further appoints the Designated Officer to be in-charge of Food Safety Administration for the entire area of National Capital Territory of Delhi.

K.J.R. BURMAN, Commissioner (Food Safety)

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना**

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

सं.फा. 21/12/वरि. सुलेखाकार/आर आर/प्रशि. प्रशा./2008/976-979.—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02.09.1983 की अधिसूचना संख्या सं.फा. 2 (2)/83- से. 2 के अनुसार प्रकाशित प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ सुलेखाकार के पदों से संबंधित भर्ती नियमों का अधिकरण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ सुलेखाकार के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिये इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :** (i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ सुलेखाकार भर्ती नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
(ii) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन समूह/वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि :**—उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :**—ऐसा कोई भी व्यक्ति :—
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ सुलेखाकार
2.	पदों की संख्या	:	01* (2013) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'ख' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	:	वेतन समूह-2, 9300-34800 रुपये जमा ग्रेड वेतन 4200 रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप :-आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी

		सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क. (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल/ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र (ii) किसी ख्याति प्राप्त उद्योग में तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो। अथवा ख. (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (ii) किसी ख्याति प्राप्त उद्योग में एक वर्ष का कार्य अनुभव हो। टीप-1.—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2.—यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ।
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।	मिश्रित पद्धति पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पद्धति से जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति केन्द्रीय/राज्य सरकार/संव राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी; क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन समूह-1 के ग्रेड वेतन 2800 रुपये सहित 5200-20200 रुपये के वेतनमान में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर इस नियुक्ति के बाद इस पर की गई समकक्ष सेवा; अथवा (iii) सेवा वेतन समूह-1 में ग्रेड वेतन 2400 रुपये सहित 5200-20200 रुपये के वेतनमान में दस वर्ष की सेवा सहित; अथवा मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर इस नियुक्ति के बाद इस पर की गई समकक्ष सेवा; एवं ख. कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के उपरान्त वेतन समूह-1, ग्रेड वेतन 2400 रुपये सहित 5200-20200 रुपये के वेतनमान में दस वर्ष की सेवा वाले विभागीय सुलेखाकार का बाहरी उम्मीदवारों के साथ भी विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिये चुन लिया जाता/ली जाती है, तो यह पदोन्नति से भरा गया मान लिया जायेगा। [केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी] टीप:- प्रतिनियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.

		2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: 'ख' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. वित्त आयुक्त, दिल्ली सरकार- अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव- सदस्य 3. संयुक्त निदेशक, योजना, दिल्ली सरकार- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: मिश्रित प्रवृत्ति से पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
वी. पी. राव, निदेशक

[सं.क्र. 3/24 डी(14)/2013- आर आर (यू.पी. एस. सी. संदर्भ)]

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2013

F. No. 21/12/SR. CALL/RR/TRG. ADMN./2008/976-979.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules relating to the post of Senior Calligraphist published *vide* Notification No. F. 2(2)/83-S.II, Dated 02-09-1983, the Lt. Governor, National Capital Territory hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Calligraphist in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Senior Calligraphist, Recruitment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, its classification and scale of pay.**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- Disqualifications.**—No Person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for the appointment to the said post :
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other Concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether Selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Calligraphist	01* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group – “B” Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB – II Rs. 9300 to 34800 with Grade Pay of Rs. 4200	N.A.

Age limits for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 30 Years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of Chamba Distt of Himachal Pradesh, Andaman & Nikobar and Island of Lakshadweep).	A (i) National Trade Certificate Or National Apprenticeship Certificate in trade Draughtsman Civil or Draughtsman Mechanical from a recognised Institution. (ii) 03 years working experience in the industry of repute. Or B (i) Three years Diploma in Civil Engg. from a recognised Board/ Institution (ii) 01 Year working experience in the industry of repute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational qualification : yes	Two years for direct recruits.

5208 DG/13-2

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By composite method Promotion/ Deputation failing which by direct recruitment	<u>Composite Method</u> <u>(Deputation/ promotion):</u> Officers of the Central Government / State Government / Union Territories :- (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in parent cadre / department ; OR (ii) with 06 years service in the scale of pay of Rs. 5200 -- 20200 with Grade Pay of Rs. 2800 in PB-I OR equivalent rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre / department; OR (iii) with 10 years service in the scale of pay of Rs. 5200 -- 20200 with Grade Pay of Rs. 2400 in PB-I OR equivalent rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre / department; AND (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. No. 7. The departmental Calligraphist with 10 years of service in scale of pay of Rs. 5200 -- 20200 with Grade Pay of Rs. 2400 in PB-I rendered after appointment thereto on regular basis will also be considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.) Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a	Group - "B" Departmental Confirmation Committee : 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the Department - Member 3. Joint Director (Planning GNCTD) - Member	Consultation with UPSC is necessary while filling the post by composite method.

	regular basis by an officers prior to 01-01-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6 CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay /Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one Prerevised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay / Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade pay / Pay scale is the normal replacement grade without any Upgradation		
--	---	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

V.P.RAO, Director
[F. No. 3/24 D(14)/2013-RR(UPSC REFERENCE)]

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

सं.फा. 21/12/ वरि. सुलेखाकार/आर आर/ प्रशि. प्रशा./2008/972—974.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 13.07.1959 की अधिसूचना संख्या 27/59.एचआईएम(i) के अनुसार प्रकाशित प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में सुलेखाकार के पद से संबंधित भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में सुलेखाकार के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिये इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में सुलेखाकार भर्ती नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
(ii) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन समूह/वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-**जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सुलेखाकार
2.	पदों की संख्या	:	01* (2013) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'ग' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	वेतन समूह -1, 5200-20200/-रुपये जमा ग्रेड वेतन 2400/-रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	:	27 वर्ष (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : सीधी भर्ती के लिये आयु-सीमा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की स्थिति में शिथिलनीय होगी। टीप : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की यांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञान और गणित विषय के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल या ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र या इसके समकक्ष (iii) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का कार्य अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ग' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. विभाग के प्रशासनिक सचिव- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भूमि एवं भवन) - सदस्य

		3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव की रैंक से कम न हो- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
वी. पी. राव, निदेशक

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December 2013

F. No. 21/12/Calligraphist/RR/TRG.ADMN./2008/972-974- In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules relating to the post of Calligraphist published vide Notification No. F.27/59 -HIM (i), Dated 13-07-1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of Recruitment to the post of Calligraphist in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Calligraphist, Recruitment Rules -2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, its classification and scale of pay.-** The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.- No Person,-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex - Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

5208 26/13-3

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Calligraphist	01* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group - "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1, Rs. 5200 to 20200 with Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable

Age limits for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
27 Years (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. and Pangi Sub-Division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, Andaman & Nikobar and Island of Lakshadweep	(i) 10th pass with Science and Maths under 10+2 System from recognized School / Board or its equivalent. (ii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate or equivalent in Draughtsman - Civil or Draughtsman - Mechanical from a recognized Institution (iii) One year experience in the concerned Trade	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

10	11	12	13
By direct recruitment	Not applicable	Group – “C” Departmental Confirmation Committee : (i) Administrative Secretary of the Department : Chairman (ii) Joint Secretary (Land & Building) : Member (iii) An officer belonging to SC/ST community not below the rank of Dy. Secy. in Govt. of NCT of Delhi : Member	Not applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

V.P. RAO, Director